



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13122023-250625
CG-DL-E-13122023-250625

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5061]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 11, 2023/अग्रहायण 20, 1945

No. 5061]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 11, 2023/AGRAHAYANA 20, 1945

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2023

का.आ. 5290(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 उप धारा (1) के अधीन जारी की गई, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र संख्या 3128 दिनांक 21 जुलाई 2023, का.आ. 3261(अ) दिनांक 20 जुलाई 2023 भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (II) में किया गया है। इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश राज्य की तहसील—कानपुर सदर, जिला—कानपुर नगर की भूमि में उत्तर प्रदेश राज्य में कांडला (गुजरात) से गोरखपुर (यूपी) तक एलपीजी परिवहन के लिए आई.एच.बी लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित किए जा रहें “कांडला (गुजरात) से गोरखपुर (यूपी) परियोजना” के सम्बन्ध में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आषय की घोषणा की थीं।

और उक्त राजपत्र अधिसूचनाओं की प्रतियां जनता को तारीख 11 अगस्त 2023 तक उपलब्ध करा दी गई थी।

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में श्री सोमदत्त मोर्य, सक्षम प्राधिकारी, आई.एच.बी लिमिटेड, कांडला गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन, कानपुर (यूपी0) ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित हैं, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिष्पन्न किया है:

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए। एतद् द्वारा घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाए।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आईएचबी लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए आई.एच.बी लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामलों पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वादएदावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

तहसील-कानपुरसदर

जिला-कानपुरनगर

राज्य-उत्तरप्रदेश

गाँवकानाम	सर्वे न0/गाटा न0	क्षेत्रफल		
		हैक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
चचेण्डी-सचेण्डी	2479B	00	08	57
	2418	00	01	31
	2419	00	03	01
	2477B	00	10	71
	कुल	00	23	60
सुजानपुर	6	00	01	23
	54	00	00	58
	कुल	00	01	81
रामपुरभीमसेन	14	00	04	24
	33	00	00	68
	कुल	00	04	92
परतापपुरसरसई	71	00	01	10
	कुल	00	01	10
सेनपश्चिमपारा	1258	00	11	54
	कुल	00	11	54
मगरासा	560	00	01	29
	559	00	00	05
	578	00	00	55
	580	00	00	68

	584	00	13	99
	614	00	01	57
	615	00	01	01
	616	00	02	70
	618	00	00	04
	617	00	01	44
	619	00	02	64
	620	00	04	01
	621	00	02	39
	635	00	01	24
	645	00	01	31
	652	00	00	09
	660	00	00	16
	661	00	02	88
	कुल	00	38	04
रमईपुर	134	00	01	12
	217	00	00	22
	255	00	03	12
	253	00	07	71
	254	00	06	56
	322	00	04	35
	323	00	03	03
	324	00	04	49
	कुल	00	30	60

[फा. सं. आर-11025(15)/6/2020-ओआर-1भाग-1/ई-45874]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th December, 2023

S.O. 5290(E).—Whereas by the notification of The Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Published in the Gazette No 3128 dated 21.07.2023, S.O. No.3261(E) dated 20.07.2023 Part-II, Section-3, Sub-Section (ii) issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and minerals pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (Hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land situated in Tehsil Kanpur Sadar, District Kanpur Nagar in Uttar Pradesh State, specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of LPG from Kandla to Gorakhpur by the IHB Ltd for implementing the Kandla to Gorakhpur LPG Pipeline Project.

And whereas the copies of the said Gazette notification were made available to the public on 11 August 2023.

And whereas Shri Somdatt Maurya, Competent Authority, IHB Limited, Kandla Gorakhpur LPG Pipeline Project, Kanpur (UP) has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, has submitted his report to Central Government.

And whereas, the Central Government after Considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of the user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user of the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vests on the date of publication of this declaration, in IHB Ltd, free from all encumbrances.

IHB Ltd shall be exclusively liable for any compensation in terms of section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to pipeline.

SCHEDULE

TEHSIL : KANPUR SADAR DISTRICT: KANPUR NAGAR STATE:UTTAR PRADESH

Name of Village	Survey No.	Area		
		Hectare	Are	Sqm.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CHANCHRI URF SACHENDI	2479B	00	08	57
	2418	00	01	31
	2419	00	03	01
	2477B	00	10	71
	Total	00	23	60
SUJANPUR	6	00	01	23
	54	00	00	58
	Total	00	01	81
RAMPUR BHIMSEN	14	00	04	24
	33	00	00	68
	Total	00	04	92
PARTAPPUR SARSAI	71	00	01	10
	Total	00	01	10
SENPASCHIM PARA	1258	00	11	54
	Total	00	11	54
MAGRASA	560	00	01	29
	559	00	00	05
	578	00	00	55
	580	00	00	68
	584	00	13	99
	614	00	01	57
	615	00	01	01
	616	00	02	70
	618	00	00	04
	617	00	01	44
	619	00	02	64
	620	00	04	01
	621	00	02	39
	635	00	01	24
	645	00	01	31
	652	00	00	09

	660	00	00	16
	661	00	02	88
	Total	00	38	04
RAMAIPUR	134	00	01	12
	217	00	00	22
	255	00	03	12
	253	00	07	71
	254	00	06	56
	322	00	04	35
	323	00	03	03
	324	00	04	49
	Total	00	30	60

[F. No. R-11025(15)/6/2020-OR-1Part-1/E-45874]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.